अध्याय ग्यारह

राजस्व प्रशासन

भू-राजस्व प्रशासन

राजस्व सम्बन्धी इतिहास :—इस जिले के राजस्व संबंधी पूर्व इतिहास का विस्तृत विवरण मालूम नहीं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सामान्य पद्धति प्राचीन भारत की कृषि भूमि संबंधी प्रणाली से मिलती-जुल थी, जिसकी प्रमुख विशेषतायें ये थीं—भूमि पर राज्य (जिसका किसान से सीधा संबंध होता था) का स्वामित भू-राजस्व साधारणतया उपज का $\frac{1}{6}$ भाग होता था (जिसका भुगतान नकद या जिन्स के रूप में किया जाता था) अ भूमि बिना किसी स्वामित्व परिवर्तन के भय के निजी संपत्तिके रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रतिबन्ध के साथ हस्तान्तरि होती रहती थी कि करों का भुगतान नियमित रूप से होता रहे ।

मध्य-काल में शेरशाह सूरी और उसके पश्चात् महान मुगल बादशाह अकबर ने कृषि-भूमि और राजस्व प्रशास संबंधी प्रणाली को एक ठोस और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जो मामूली संशोधनों के साथ अवध को अंग्रेजी रा में मिलाये जाने (1856) तक चलती रही। प्रसंगवश यहां यह उल्लेखनीय है कि पहले शेरशाह और बाद में अकबर प्रसिद्ध राजस्व मंत्री राजा टोडरमल के बारे में यह कहा जाता है कि वे इस जिले के लहरपुर में पैदा हुए थे।

जिले का राजस्व संबंधी आधुनिक इतिहास, अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत 1856 में किये गये मरसरी बन्दोबस से आरम्भ होता है, जो अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने (Annexation) के तुरन्त बाद सीतापुर के प्रथ डिप्टी कमिश्नर द्वारा प्रत्येक गांव के वास्तविक स्वामियों के साथ किया गया था तथा पूर्वी परगनों में (जो उस सम मल्लनपुर जिले में आते थे) यह बन्दोबस्त कानूनगो के अभिलेखों के आधार पर किया गया था । अब इस बन्दोबस्त कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस से संबंधित सभी अभिलेख 1857–58 के उपद्रवों में नष्ट हो गये ।

1858 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने बन्दोबस्त का कार्य नये सिरे से शुरू किया। 1856 के पिछले बन्दोब से संबंधित सरकारी नीति को, जिसका प्रबल विरोध हुआ था, त्याग दिया गया और ताल्लुकेदारी प्रणाली को पुरान देशी और देश की मनोवांछित प्रणाली घोषित किया गया। किन्तु, कर निर्धारण की जो प्रणाली अपनाई गई वह यह कि पहले मांग (जो 9,39,897 रु0 को थी) मरसरी निर्धारण के अनुसार, प्रत्येक गांव की परिसंपत्तियों का आ मूल्य निर्धारित की गयी थी, जो कानूनगो के अभिलेखों से संगणित की गई थी। यद्यपि यह मांग अधिक नहीं थ तथापि अपने आपात-मार की तुलना में यह असमान थी। ताल्लुकेदारों के सभी पुराने गांव उनको वापस कर दि गये, परन्तु परस्पर विरोधी दावों के मामलों में निर्णय को नियमित बन्दोबस्त हो जाने तक स्थगित रखा गया।

पहला नियमित बन्दोबस्त

इस बन्दोबस्त का कार्य गांवों की सीमाबन्दी और गांव के मानचित्र तैयार करने से आरंभ किया गय अगली कार्यवाही के रूप में राजस्व का सर्वेक्षण किया गया, जो 1862-63 से लेकर 1865–66 तक चलता रहा इसके साथ ही साथ, बन्दोबस्त का सर्वेक्षण (जो खसरा सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है) किया गया और इस समाप्त हो जाने के पश्चात् गांव के अभिलेख तैयार किये गये और परगना प्रति परगना वास्तविक कर-निर्धारण का शुरू किया गया, हालांकि बन्दोबस्त से संबंधित मामले फरवरी, 1872 तक चलते रहे।

तीन दक्षिणी परगनों बाड़ी, महमूदाबाद तथा सनवां में किये गये निर्धारण कार्य से यह पता चलता है मुख्यत: लगान का भुगतान जिन्स के रूप में किया जाता था और चूंकि उपज और मूल्यों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा इस लिए सूक्ष्म मूल्यांकन (Minute valuation) के सभी प्रयासों को छोड़ना पड़ा और लगान की दो दरें, ए सिंचित भूमि के लिए 6 रु0 प्रति एकड़ तथा दूसरी असिंचित भूमि केलिए 4 रु0 प्रति एकड़ अपनाई गई। इन दरों लगान की औसत दरें समझा गया, परन्तु यह महसूस किया गया, कि इन दरों को मात्र अधिकतम दरें ही माना जा सक है। प्रत्येक गांव में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, जिसका वर्गीकरण तुलनात्मक मूल्यों की तालिका अनुसार किया गया था, की विवरणियों (Returns) को प्राप्त करके इस कठिनाई को हल किया गया, कृषकों भी वर्गीकरण उनकी सामर्थ्य के अनुसार किया गया तथा भू-स्वामियों की उपज की विवरणियों को वर्तम दरों पर पूंजी में परिवर्तित करके गांव की परिसंपत्तियों की गणना की गई। वास्तव में यह प्रणाली काम चलाऊ होने कारण कार्यरूप में अधिक सहायक नहीं सिद्ध हुई इसे अव्यवस्थित रूप से अत्यधिक पाया गया। अतएव 3